

Conduct of Elections Rules, 1961
(Statutory Rules and Order)
FORM 21C
(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan (State/Union territory) from
Dungargarh-17 Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of
the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I
declare that -

SRI GIRDHARILAL

VILLAGE-DULCHASAR, POST-SUDSAR, TEHSIL-SRI DUNGARGARH

[sponsored by COMMUNIST PARTY OF INDIA (MARXIST) (name of the
recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the
above constituency.

Place : Polytechnic College, Bikaner
Date : 11.12.2018

Returning Officer

रिटर्निंग अधिकारी

दुंगरगढ़ (17) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

(उपखण्ड मजिस्ट्रेट)

दुंगरगढ़

दुंगरगढ़
11.12.18

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

इंगरगढ़-17 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री गिरधारीलाल

ग्राम-दुलचासर, पोस्ट-सूडसर, तहसील-श्रीइंगरगढ़

[जो कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (माक्सिसिस्ट) (मान्यता प्राप्त पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : पोलिटेक्निक महाविद्यालय, बीकानेर

तारीख : 11.12.2018

रिटनिंग आफिसर
निर्वाचन अधिकारी

इंगरगढ़ (17) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
(उपखण्ड मजिस्ट्रेट)
इंगरगढ़